BROADCASTING BILL GETS EXTENSION

Broadcasting Bill gets extension to get more views from all stakeholders.

The Ministry of Information and Broadcasting on Thursday extended the deadline for submission of feedback and suggestions from the public on the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill 2023 till January 15, 2024.

Earlier, the ministry had granted time till December 9, 2023 to the general public or stakeholders to submit their suggestions or comments on the bill.

"It needs a serious relook and we have requested some time to revert with our comments. In July, the MIB had requested TRAI to give its recommendations on a NBP, that would define the vision, mission, and policy principles for the broadcasting industry. IBDF is of the view that a new policy should be designed that is flexible enough to be applied to a wide range of situations and allows for innovation and creativity to grow the industry."said K. Madhavan, who is also the chief of Disney Star, was recently re-elected as the president of the Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF) for the third time.

IBDF also emphasised the need to introduce a national policy on media and entertainment for the enhancement of the broadcasting industry which would allow for more efficient functioning and monitoring of the industry, benefitting both industry participants as well as regulatory bodies.

In response to the representations received from the various quarters with reference to this Ministry's Public Notice dated November 10, 2023… this Ministry has decided to extend the deadline for furnishing suggestions/ feedback/ comments/inputs/views by any person/stakeholders on the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill 2023 up to 15.01.2024, - the ministry said in its notice.

The Ministry of Information and Broadcasting has proposed Broadcasting Services (Regulation) Bill 2023 to establish a consolidated legal framework for the entire broadcasting sector, seeking to replace the existing Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 or any other policy guidelines currently governing the broadcasting sector in the country. ■

प्रसारण विधेयक को समय विस्तार मिला

प्रसारण विधेयक को सभी हितधारकों से अधिक विचार प्राप्त करने के लिए विस्तार दिया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हालही में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक **2023** के मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया और सुझाव जमा करने की समय सीमा **15** जनवरी **2024** तक बढ़ा दी है।

इससे पहले, मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए **9** दिसंबर **2023** तक का समय दिया था।

'इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमने अपनी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है। जुलाई में, एमआईबी ने ट्राई से एनबीपी पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था, जो प्रसारण उद्योग के लिए दृष्टिकोण, मिशन और नीति सिद्धांतों को परिभाषित करेगा। आईबीडीएफ का विचार है कि एक नयी नीति तैयार की जानी चाहिए जो इतनी लचीली हो कि उसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सके और उद्योग को विकसित करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता की अनुमति मिले।' यह बात डिज्नी स्टार के प्रमुख के. माधवन ने बतायी, जो कि हाल ही में तीसरी बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गये हैं।

आईबीडीएफ ने प्रसारण उद्योग को बढ़ाने के लिए मीडिया और मनोरंजन पर एक राष्ट्रीय नीति पेश करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जो उद्योग के अधिक कुशल कामकाज और निगरानी की अनुमति देगा, जिससे उद्योग प्रतिभागियों के साथ-साथ नियामक निकायों दोनों को लाभ होगा।

इस मंत्रालय ने **10** नवंबर **2023** के सार्वजनिक नोटिस के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों प्राप्त अभ्यावेदन के जवाब में...इस मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा कि इस मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक **2023** के मसौदे पर किसी भी व्यक्ति/हितधारकों द्वारा सुझाव/प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/इनपुट/विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा **15.01.2024** बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संपूर्ण प्रसारण क्षेत्र के लिए एक समेकित कानूनी ढ़ांचा स्थापित करने के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक **2023** का प्रस्ताव दिया है, जो मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम **1995** या देश में वर्तमान में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नीति दिशानिर्देशों को बदलने की मांग की जा रही है। ■